# Samvidhan Sanshodhan List in Hindi PDF

## संविधान संशोधन लिस्ट इन हिंदी www.applicationformpdf.com

- पहला संशोधन अधिनियम, 1951 संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में बदलाव .
- दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 एक सदस्य को लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए 7,50,000 की निर्धारित सीमा को हटाने के लिए संशोधित अनुच्छेद 81।
- तीसरा संशोधन अधिनियम, 1954 सातवीं अनुसूची में तीन विधान सूचियों में परिवर्तन और समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 को एक नए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- चौथा संशोधन अधिनियम, 1955 अनुच्छेद 31 और 31A में संशोधन किया गया.
- 5वां संशोधन अधिनियम, 1955 अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया
- 7वां संशोधन अधिनियम,1956 यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया था
- 9वां संशोधन अधिनियम, 1960 इसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत भारत के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया
- 10वां संशोधन अधिनियम, 1961 दसवां संशोधन भारत के संघ के साथ मुक्त दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रों को एकीकृत करता है
- 11वां संशोधन अधिनियम, 1962 निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, बजाय संसद के संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के।
- 21वां संशोधन अधिनियम, 1962 गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया।
- 13 वां संशोधन अधिनियम, 1962, नागालैंड को भारत संघ के राज्य के रूप में बनाया।
- 15 वां संशोधन अधिनियम, 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 और अन्य छोटे संशोधन
- 21वां संशोधन अधिनियम, 1967 आठवीं अनुसूची में सिंधी 15 वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल हुई
- 26 वां संशोधन अधिनियम, 1971 रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया।
- 31वां संशोधन अधिनियम, 1973 लोकसभा की वैकल्पिक शक्ति को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया।
- 36वां संशोधन अधिनियम, 1975, सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य बनाया।
- 38वां संशोधन अधिनियम, 1975, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976, संसद के लिए सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों के लिए निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दी। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा। संविधान की प्रस्तावना से “सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक” को बदलकर “सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक’ करना और राष्ट्र की एकता को बढ़ाना

- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 लोकसभा और विधानसभाओं की सामान्य अवधि को 5 साल के लिए बहाल किया।संपत्ति का अधिकार भाग III से हटा दिया गया

- 45वां संशोधन अधिनियम, 1980, 10 वर्ष के लिए (1990 तक) SC/ST आरक्षण का विस्तार।

- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985, दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों के संबंध में संविधान में दसवीं अनुसूची सम्मिलित की गई।

- 56वां संशोधन अधिनियम, 1987 भारत के संविधान के हिंद संस्करण को उन सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया गया था, जो गोवा के केंद्र शासित प्रदेश में दिए गए थे।

- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989 लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया

- 73वां संशोधन, 1993 (नगरपालिका बिल), 1992 (पंचायत बिल) गाँवों में ग्राम सभा, गाँव और अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन, पंचायतों की सभी सीटों पर सीधा चुनाव और एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण और पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करना।

- 74वां संशोधन, 1993 (नगरपालिका बिल) एससी / एसटी, महिलाओं और ओबीसी के लिए तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के संविधान और हर नगरपालिका में सीटों का आरक्षण

- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002 अनुच्छेद 21 के बाद नए अनुच्छेद 21 A के सम्मिलन से संबंधित है। नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।

- 89वां संशोधन अधिनियम, 2003, अनुच्छेद 338 का संशोधन

- 91वां संशोधन अधिनियम, 2003 अनुच्छेद 75 का संशोधन

- 92वां संशोधन अधिनियम, 2004, आधिकारिक भाषाओं के रूप में बोडो, डोगरी, संताली और मैथली शामिल हुआ।

- 93वां संशोधन अधिनियम, 2006, सरकार के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण (27%)।

- 99वां संशोधन अधिनियम, 2015 एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन

- 100वां संशोधन अधिनियम, 2015 संविधान (100 वां संशोधन) अधिनियम, 2015, मई 2015 के चौथे सप्ताह में खबरों में था, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान (119 वां संशोधन) विधेयक, 2013 को स्वीकृति प्रदान की थी जो भारत और बांग्लादेश के बीच के भूमि संबंधी समझौते (LBA) से संबंधित था।

- 101वां संशोधन अधिनियम, 2017, वस्तु और सेवा कर लागू हुआ

- 103 वां संशोधन अधिनियम, 2019 केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू
- संविधान (104 वां संशोधन) अधिनियम, 2020 इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया।